

फॉर्म नं. 111
फर्द अहकाम

(नियम 26)

Crim-I

अज अदालत न्यायालय अतिथि जिला कलकत्ता मुकाम दौसा

किस्म मुकदमा प्रा.पत्रस्था 0 नं. 67 सन् 2017

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23-7-18	<p>आचिबन्ता प्राची उपस्थित आचिबन्ता प्राची द्वारा निवेदन किया गया कि तत्कालीन तहसीलदार लालमोह श्री रेवड.म ल बटवाल का स्थानांतरण हो चुका है इसलिये विचाराधीन प्राची पत्र स्थानांतरण को आगे य लाये जाने का कोचिप नहीं है अतः प्राची पत्र स्थानांतरण खारिज कर मागे।</p> <p>पत्रावली का अवलोकन किया गया। बार-बार अज्ञान दिये जाने के उपरांत अज्ञानी है। की प्राची पत्र दे रजिस्टर्ड तहसीलदार के पास नहीं किया गया। इससे अलावा तत्कालीन तहसीलदार लालमोह का स्थानांतरण भी हो चुका है ऐसी स्थिति में प्राची पत्र स्थानांतरण को आगे य लाये जाने का कोई कोचिप नहीं है अतः न्यायालय तहसीलदार लालमोह में विचाराधीन प्रकरण उनका नाम न्यायालय में स्थानांतरण पत्रावली के द्वारा प्रस्तुत प्राची पत्र स्थानांतरण खारिज किया जाता है निवेदन की प्रति आचिबन्ता न्यायालय तहसीलदार लालमोह की भिजवायी जावे। प्राची पत्र स्थानांतरण प्रसन्न शुभारंभ नम्बर 67 का प्रतीक प्राची पत्रावली में सुनाया गया।</p>	



अतिथि जिला कलकत्ता
 रोज